

From: rakesh kumar <[rakesh\\_12354@rediffmail.com](mailto:rakesh_12354@rediffmail.com)>  
Date: Oct 24, 2016 6:35:41 PM  
Subject: टैरिफ आर्डर से सम्बंधित  
To: [vk.agarwal@trai.gov.in](mailto:vk.agarwal@trai.gov.in)  
Cc: [pradvcs@trai.gov.in](mailto:pradvcs@trai.gov.in)

सेवा में ,चेयरमैन  
जवाहर लाल नेहरू मार्ग  
नई दिल्ली 110002

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी आफ इंडिया

विषय (टैरिफ आर्डर सम्बंधित )

महोदय,

मैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा टैरिफ आर्डर पर मांगे गए सुझाव का हार्दिक स्वागत करता है।

महोदय, टैरिफ आर्डर में प्रति चैनल जो ब्रॉडकास्टर्स के रेट तय किये जाने का प्रस्ताव है ये उपभोक्ताओं के हित में उचित नहीं है।

जैसा कि आप जानते हैं कि केबल टीवी आम उपभोक्ताओं के लिए सूचना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी हासिल करने का एकमात्र सस्ता साधन है अतः मेरा रेगुलेटरी अथॉरिटी से विनम्र निवेदन है पे चैनल्स के रेट न बढ़ाएं जाएँ ।

1.क्योंकि पे चैनल्स को विज्ञापन से पहले ही बहुत अधिक आय होती है अतः पे चैनल का कोई मासिक शुल्क नहीं होना चाहिये।

2.ब्रॉडकास्टर्स को अपने पे चैनल्स की घोषणा करने के साथ ही उसके जैनर की घोषणा करना अनिवार्य होना चाहिए और किसी भी परिस्थित में सम्बन्धित चैनल की मांग बढ़ने पर उसका जैनर बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

3.एचडी चैनल के रेट एसडी चैनल से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए क्योंकि दोनों पर प्रसारित होने वाले प्रोग्राम एक समान होते हैं।

4.अब भारत सरकार जीएसटी लागू करके देशभर में टैक्स की दरें एकसमान करने की ओर अग्रसर है अतः इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रॉडकास्टर के चैनल की दरें भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग न होकर देशभर में एक समान ही होनी चाहिए।

5.प्रीरियम श्रेणी के सम्बन्ध में ब्रॉडकास्टर्स को पूर्व प्रसारित हो रहे चैनल्स को प्रीमियम श्रेणी में रखने छूट नहीं दी जानी चाहिए बल्कि नए चैनल को प्रीमियम श्रेणी में रखने की छूट भी इन शर्तों पर दी जानी चाहिए कि प्रीमियम चैनल में 12 घण्टे से अधिक रिपीट प्रोग्राम न हों।

अंत में मेरा रेगुलेटरी अथॉरिटी से विनम्र निवेदन है कि ब्रॉडकास्टर्स के चैनल की दरें तय करने के पश्चात इसमें रह गई कमियों का आकलन करने हेतु तीन महीने पश्चात सभी स्टेकहोल्डर्स की पुनः एक ओपन हाउस मीटिंग बुलाई जाए और

उसका सीधा प्रसारण करने की व्यवस्था भी की जाये जिससे सभी देशभर के सभी एलसीओ एवं उपभोक्ताओं तक इसकी जानकारी पहुँच सके।

धन्यवाद ,

शिवा केबल विज्ञन राजेंद्र नगर लखनऊ

24.10.16